न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 148/2015

परमेश्वरी पुत्री लादू जाति नायक निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद हरमाडा थाना के पीछे जयपुर जिला जयपुर।

—वादिनी

बनाम

1. मोहनीदेवी धर्म पत्नी लादू
2. श्रवण पुत्र लादू
3. पार्वती धर्म पत्नी गौरीशंकर जाति नायक निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ
4. रूकमणीदेवी धर्मपत्नी नरसिंह पुत्री लादू जाति नायक निवासी दुर्जनपुरा तह नवलगढ हाल आबाद कोल फैक्ट्री पिपराली रोड वार्ड नं. 01 सीकर तहसील व जिला सीकर
5. उप पंजियक व तहसीलदार नवलगढ

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ दुरूस्त करवाने रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.10.2017

वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दुर्जनपुरा की सरहद में भूमि पुराने ख.न. 324 रकबा 5 बीघा 19 बिश्वा स्थित है जो वादीनी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के कब्जा काश्त व खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि वादीनी के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी, उनके फौत होने पर उसके वारिसानों वादीनी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त व खातेदारी में आ गई। इस भूमि के नये ख.न. भूप्रबंधक विभाग में 603 रकबा 1.46 है0 पड गये इसके भी नये ख.न. 641 रकबा 1.46 है0 व वर्तमान ख.न. 208 रकबा 1.46 है0 पडे हैं। इस भूमि को आगे वाद में प्रश्नगत भूमि कहा गया है। वंशावली के अनुसार लादूराम के वारिसान वादीनी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 हैं। उपरोक्त भूमि में लादूराम के सभी उतराधिकारियों का बराबर हक हिस्सा है यानि प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है, उक्त भूमि लादूराम की खुद की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि है, लादूराम का देहान्त आज से 16—17 साल पहले हो गया, लादूराम फौत हुआ तब उसकी खातेदारी की भूमि उसके पांच पुत्र पुत्रियों व स्त्री के बराबर हिस्से के रूप में खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन गलत रूप से प्रतिवादी नं. 2 श्रवण जो वादीनी का भाई है ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जरिये इन्तकाल नं. 10 उक्त लादूराम की खातेदारी की भूमि प्रतिवादी नं.1 लादू की स्त्री प्रतिवादी नं. 2 लादू के पुत्र के ही नाम खातेदारी में नाम दर्ज करवाली जो विधि कानून हक अधिकारों के विपरीत है। गलत इन्तकाल से किसी को खातेदारी हक अधिकार न तो दिये जा सकते हैं ना ही किसी के हक अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं। इन्तकाल एक फिसीकल कार्यवाही होती है, इस गलत इन्तकाल के आधार पर उसके गलत रिकार्ड बनता गया जो गलत व कानून के विपरीत होने से उसका कोई महत्व नही है। वादीनी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 अपना अपना हिस्सा अपने हिस्से के अनुसार लाटते रहे हैं व लाट रहे हैं।

लादूराम के पांच उतराधिकारियों प्रत्येक के 0.29 है0 भूमि भाग हिस्से में आता है इसप्रकार वादीनी व प्रतिवादी नं.1 लगायत 4 के हिस्से में वादीनी के 1/5 हिस्से में 0.30 है0, प्रतिवादी नं. 4 क 1/5 हिस्से में 0.29 है0, प्रतिवादीनी नं. 1 के हिस्से में 0.29 है0 तथा प्रतिवादी नं. 2 श्रवण के हिस्से में 0. 29है0 व प्रतिवादीनी नं. 3 के 1/5 हिस्से में 0.29है0 रकबा हिस्से में आया है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने 0.03 है0 रकबा आबादी के लिये रख कर शेष अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है केता के नाम अलग खाता बन गया है अब बचे शेष रकबा ख.न. 208 रकबा 0.91 है0 में 0.88है0 रकबा वादिनी व प्रतिवादी नं. 3 व 4 के हिस्से का रकबा बचा है, प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 0.03 है0 आबादी का रकबा अपने पास रखा है बाकी शेश रकबा अपने हिस्से का विक्रय कर दिया है। वादीनी तलाकशुदा है उसके तीन संताने विकेश नितू व सूरज है, वे अपने हिस्से की भूमि काश्त करके व मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 अपने नाम बनी व दर्ज गलत खातेदारी का नाजायज फायदा उठा कर वादीनी का हिस्सा भी बाला बाला विक्रय करके उनके हिस्से से महरूम करना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 ने अपना हिस्सा पहले भी बाला बाला बिना सह हिस्सेदारों के बताये बिना विभाजन विक्रय कर दिया था, अब वादिनी का हिस्सा भी विक्रय करने का आये दिन धमकी दे रहा है, दिनांक 05.07.2015 को प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 केतागण को काश्त की भूमि पर लाया व कहा की मैं तुम्हारा हिस्सा इनको विक्रय कर दूंगा इस साल काश्त मत करना, नही तुम्हे काश्त करने दूंगा। वादीनी की पैत्रिक सम्पति है, प्राकृतिक प्रथम दृष्टया हिस्सा है कब्जा काश्त है, इसप्रकार वादीनी का प्रथम दृष्टया मामला है, व सुविधा का संतुलन भी वादीनी के पक्ष में है। इसप्रकार प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है जिसके लिये उक्त वाद पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादपत्र की धारा में वर्णित प्रश्नगत भूमि में वादिनी को 1/5 हिस्से की भूमि घोषित की जाकर उसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे, प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी है, व रकबा उनके हिस्से में से कम किया जावे व वादीनी का हिस्सा 0.30 है0 रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि को वेस्ट डेमेज व एलीनियरेट नही करे, किसी भी रूप में किसी को भी ट्रांसफर नही करे वादीनी को उनका हिस्सा शांति से काश्त करने दे उपयोग उपभोग करने दें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः शहादत वादीया ली जाकर बहस वकील वादीया सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम दुर्जनपुरा संवत 2069 से 2072 में भूमि ख.न. 208 रकबा 0.91 है0 की खातेदारी मोहनी पत्नी स्व0 लादूराम श्रवण कुमार पुत्र लादूराम कोम नायक सा.दे.खातेदार तथा राहिन ओ.बी.सी. बैंक नवलगढ के मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा.सं. 590 नि.दि. 16.05.2013 रहन मुक्त मोहनी पत्नी स्व0 लादूराम श्रवणकुमार पुत्र लादूराम कोम नायक सा.दे.खातेदार रहन मुक्त स्वीकार। नामां.सं. 624 नि.दि. 05.12. 2013 रहननामा राहिन मोहनी पत्नी स्व0 लादूराम श्रवणकुमार पुत्र लादूराम कोम नायक सा.दे.खा. एसबीबीजे शाखा नवलगढ मूर्तहीन स्वीकार। नामां.स. 694 नि.दि. 20.04.2015 बेचान ख.न. 208 रकबा 0. 91 है0 में श्रवणकुमार पुत्र लादूराम हि0 1/2 के स्थान पर बबीतादेवी धर्मपत्नी महेन्द्रकुमार जाति मेघवाल निवासी झाडेवा तहसील लक्ष्मणगढ हिस्सा 0.22 है0, श्रवणकुमार पुत्र लादूराम जाति नायक सा. दे. हिस्सा 0.2350 है0 दर हिस्सा 1/2 स्वीकार बाकी बदस्तूर, नामां0 सं. 693 नि.दि. 06.05.2013 रहनमुक्त मोहनी पत्नी स्व0 लादूराम श्रवणकुमार पुत्र लादूराम रहनमुक्त स्वीकार। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2012 से 2015 के अनुसार भूमि ख.न. 324 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी लादू दल्द नौपा कोम नायक सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी संवत 2032 से 2035 में भी मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 से 2015 है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम नवलगढ के अनुवसार गत ख.न. 324 से नये ख.न. 603 रकबा 1.46 है0 बने तथा नया ग्राम दुर्जनपुरा बनने पर नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2054 से 2057 में गत ख.न. 603 से नये ख.न. 641 रकबा 1.46 है0 तथा 641 से नये खसरा नम्बर 208 रकबा 1.46 है0 बनना प्रमाणित है। जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ग्राम दुर्जनपुरा के ख.न. 208 रकबा 0.91 है0 की खातेदारी मोहनी पत्नी स्व0 लादूराम श्रवण पुत्र लादूराम कोम नायक सा.दे. दर्ज रिकार्ड है। जिसमें नामा0 सं0 694 दिनांक 20.04.2015 बेचान द्वारा श्रवण पुत्र लादू हि0 1/2 के स्थान प बबीतादेवी धर्मपत्नी महेन्द्रकुमार जाति मेघवाल निवासी झाडेवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हि

उपखण्ड अधिक

0.22 है0 श्रवणकुमार पुत्र लादूराम जाति नायक सा.दे. हिस्सा 0.2350 है0 दर हिस्सा 1/2 दर्ज है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 से 2035 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीया की पैत्रिक भूमि होना प्रमाणित है। वादीया प्रतिवादी नं. 1 की पुत्री व प्रतिवादी नं. 2 की बहन है, तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम दर्ज है। वादीनी द्वारा अपने हिस्से के लिये दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीनी का 1/5 हक हिस्सा होना प्रमाणित है तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया जाना रिकार्ड से साबित है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी ख.न. 208 रकबा 0.91 है0 में से 0.69 है0 भूमि प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खातेदारी में शेष रहती है। अतः शेष रही भूमि रकबा 0.69 है0 में वादीया को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादीया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। ग्राम दुंजनपुरा की भूमि ख.न. 208 रकबा 0.69 है0 में से 1/5 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/17

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ